महत्वपूर्ण एवं खास

छाल व घरघोड़ा पुलिस की खुड़खुड़िया पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना छाल स्टाफ द्वारा ग्राम बेहरामार में जुआ रेड कार्यवाही कर प्रशांत कुमार गुप्ता पिता अभिमन्यु गुप्ता उम्र 38 वर्ष साकिन कुडेकेला को खुडखुडिया पट्टी पर झंडी मुडी से जुआ खेलाते पकडे जिसके पास से खुडखुडिया जुआ की सामग्री, पेट्रोमेक्स गैंस एवं नगदी रकम 1300/- रूपये नगद जप्त किया गया है। घरघोड़ा पुलिस द्वारा ग्राम पतरापली डीपापारा रथ यात्रा मेला में खुडखुडिया नामक जुआ खेलते हुए जुआडीयान 1. कृष्णा लाल निषाद पिता एतवार सिंह निषाद उम्र 38 वर्ष, 2. समारू राठिया पिता गोली राम राठिया उम्र 27 वर्ष, 3. रविशंकर राठिया पिता दर्शन राठिया उम्र 20 वर्ष सभी साकिनान पतरापाली डीपापारा थाना घरघोडा को पकडे जिनके कब्जे से 06 नग खुडखुडिया गोटी, एक नग खुडखुडिया पट्टी जिसमें चिडी, पान, झंडी, मुंडी आदि का चिन्ह बना है तथा एक बांस का टोकरी एवं जुआडियों के पास से 670 रूपये एवं फड से 2550 रूपये कुल 3220 /- रूपये जप्त किया गया है। जुआडियान के विरूद्ध 4(क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

ग्राम बोतल्दा के रॉक गार्डन में खरसिया पुलिस की जुआ रेड कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक जन्मेजय वर्मा व हमराह स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम बोतल्दा के रॉक गार्डन में 52 पत्ती तास से जुआ खेल रहे व्यक्तियों पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया, जहां खुले स्थान का फायदा उठाकर कुछ जुआडियान भाग गये। तीन जुआडियान 1. छोटेलाल महिष पिता स्व. झूलाराम महिष उम्र 40 वर्ष साकिन तेलीकोट 2. मंगलूराम डनसेना पिता कुंजराम डनसेना उम्र 40 वर्ष साकिन बडे डूमरपाली 3. गोपाल प्रसाद बंसोड पिता रामसिंह उम्र 37 वर्ष साकिन बोतल्दा को पुलिस ने पकडा जिनके फड एवं पास से जुमला रकम 2700 /- रूपये , 52 पत्ती तास जप्त किया गया है। जुआडियान के विरूद्ध थाना खरसिया में अप.क्र. 309/19 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

अच्छी शिक्षा लेकर निरूद्ध बंदी बनेंगे आत्मनिर्भर-कलेक्टर

» 5 वीं, 8 वीं एवं राष्ट्रव्यापी परीक्षा में उत्तीर्ण बंदियों को दिया गया प्रमाण-पत्र » जिला जेल परिसर में घर जैसा परिवेश मिलने पर बंदियों ने खुशी जाहिर की »बंदी पीएससी एवं कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की कर रहे तैयारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज जिला जेल रायगढ़ में विभिन्न परीक्षाओं में स्वाध्यायी के रूप में परीक्षा देकर उत्तीर्ण होने वाले निरूद्ध बंदियों को प्रमाण-पत्र दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, रायगढ़ एसडीएम भागवत जायसवाल, जिला जेल अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, सहायक जेल अधीक्षक नरेन्द्र कुमार डहरिया, शेख ताजीम, रायगढ़ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सी.के.धृतलहरे, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार पटेल, शिक्षक हेमंत कुमार नामदेव, महिला पहरी श्रीमती लखेश्वरी रेहाना खान, मुख्य प्रहरी विरेन्द्र तिवारी और बड़ी संख्या में निरूद्ध बंदीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने परीक्षा में उत्तीर्ण बंदियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज बहुत अच्छा दिन है, आपसे मिलने का अवसर मिला है। जेल परिसर में बंदियों को घर जैसा परिवेश उपलब्ध कराने के लिए जिला जेल अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के सार्थक कार्यो की सराहना की। उन्होंने कहा कि अच्छे आचरण के साथ बंदियों के लिए शिक्षा की अलख जगायी जा रही है। निश्चित ही बंदियों के लिए कारगर कदम है। अच्छी शिक्षा लेकर जेल परिसर से बाहर निकलने के बाद उनके पास रोजगार के पर्याप्त अवसर रहेंगे। साथ ही स्वरोजगार से जुड़कर बंदी आत्मनिर्भन बन सकेंगे। कलेक्टर ने अपने अनुभव भी साझा किए।

पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा से जीवन में बदलाव देखने को मिलते है। महिला एवं पुरूष बंदी शिक्षित होकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से व्यक्तित्व की अलग पहचान बनती है, सोचने और देखने का नजरिया बदलता है। जिला जेल रायगढ़ के बंदी ललित सिदार पीएससी परीक्षा की तैयारी करते हुए प्री एवं मेन्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है। इसी तरह संदीप टोप्पो कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे है।

कलेक्टर एवं एसपी ने जिन बंदियों को प्रमाण-पत्र दिया इनमें कक्षा 5 वीं के रूकमणी महंत, ठण्डाराम धनवार, संतोष कुमार सिदार, कृष्णा कुमार सोनवानी, कार्तिकराम निषाद, आनंद चौहान, रेशम सिदार शामिल है। इसी प्रकार कक्षा 8 वीं के रंभा बाई, सरिता निर्मलकर, सावित्री सिंग, लक्ष्मी, किशन चौहान, अफजल अंसारी, अजीत नागवंशी, बुंददास महंत, रामदास महंत, चंदर सिंग, नंदू राठिया, राजा बाबु ध्रुव, राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा में केदाबाई, कार्तिकराम, बाबूलाल बेरूआ, देवसिंग यादव, दुर्गाचरण यादव, महावीर बेरूवा शामिल है। इसी प्रकार बीपीपी की परीक्षा में अनिल भारद्वाज, लीलाधर पटेल, अनिल बरेठ, मनोज डहरिया, तेजराम यादव शामिल है।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय आंकलन परीक्षा आयोजित किया जाता है। जिला जेल रायगढ़ में निरूद्ध बंदी 5 वीं, 8 वीं राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा, बीपीपी के स्वाध्यायी के रूप में महिला एवं पुरूष बंदी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे है और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हुए है। वर्तमान में अब तक 961 पुरूष बंदी और 120 महिला बंदी कुल 1081 बंदी राष्ट्र व्यापी महापरीक्षा में सम्मिलित होकर साक्षरता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुके है। जिला जेल के बंदी पीएससी और कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे है।

महिला से छेड़खानी, मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला जांजगीर चांपा के थाना सक्ती अन्तर्गत रहने वाली 38 वर्षीय महिला, दिनांक 13.07.19 के शाम अपने रिस्तेदार के यहां अपने लड़की के साथ स्कूटी में आयी थी जहां से वापस घर आते समय परसकोल से तुरेकेला मार्ग पर स्कूटी खराब हो गया तो लड़की उसे धकेलते हुये आगे बनवाने के लिये लेकर जा रही थी उसकी मां सड़क किनारे खड़ी थी कि उसी समय इसके गांव के खिलावन सिदार एवं उसका पिता समेलाल सिदार मोटर सायकल पर वहां आये। खिलावन सिदार हमारी बहन को तेरा पति छेड़ा है, आज बदला लेंगे कहकर महिला से छेड़खानी करने लगे। छेड़खानी को देखकर उसकी बेटी आयी और रास्ते से जा रहे स्कार्पियो को रोकवायी जिसमें से एक व्यक्ति उतरकर दोनों बाप-बेटो को तुम लोग महिला को क्यों छेड़ रहे हो बोला तो दोनों मोटर सायकल से भाग गये। घटना की रिपोर्ट पर थाना खरसिया में अप.क्र. 308/19 धारा 294, 323, 34-354, आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

8 अगस्त को खिलाई जाएगी कृमिनाशक गोली

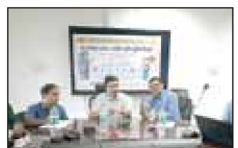

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन में 8 अगस्त 2019 को जिले के 598529 बच्चों को कृमिनाशक दवाई खिलाई जाएगी एवं छूटे बच्चों को 16 अगस्त को मापअप दिवस को दवाई खिलाई जाएगी।

जिला नोडल अधिकारी डॉ.टी.जी.कुलवेदी ने बताया कि कृमि संक्रमण विभिन्न कारणों से होता है। जैसे शौचालय का उपयोग नहीं करना, नंगे पॉव चलना, शौच के बाद तथा खाने के पूर्व अच्छी तरह से हाथ न धोना, फल-सब्जी को बिना धोये खाना, खाना को बिना ढंके रखना, नाखून बड़ा होना आदि के माध्यमों से कृमि के अण्डे हमारे हाथों पहुंचकर अपनी संख्या बढ़ाते है जिसके कारण हम जो भी भोजन करते है, उसकी पौष्टिकता को कृमि शोषित कर लेता है जिससे बच्चों में कुपोषण, बार-बार बीमार पड़ना, खून की कमी, थकान महसूस करना, बौद्धिक क्षमता में कमी, मानसिक एवं शारीरिक विकास कम होना, एनिमिया आदि के कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

कलेक्टर ने बंदी संपर्क सुविधा केन्द्र का किया शुभारंभ

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज जिला जेल रायगढ़ में बंदी संपर्क सुविधा केन्द्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, रायगढ़ एसडीएम भागवत जायसवाल, जिला जेल अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, सहायक जेल अधीक्षक नरेन्द्र कुमार डहरिया, शेख ताजीम, रायगढ़ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सी.के.धृतलहरे, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार पटेल, शिक्षक हेमंत कुमार नामदेव, महिला पहरी श्रीमती लखेश्वरी रेहाना खान, मुख्य प्रहरी विरेन्द्र तिवारी और बड़ी संख्या में निरूद्ध बंदीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर की उपस्थिति में बंदी सीताराम ने सुविधा केन्द्र के माध्यम से अपने परिजनों को फोन लगाकर हालचाल जाना। सीताराम ने खुशी जाहिर करते हुए शासन एवं अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जेल परिसर में संपर्क सुविधा के माध्यम से हालचाल जानने में आसानी होगी।

संपर्क सुविधा केन्द्र के आपरेटर सुनील सिवारे ने बताया कि बदियों को चीप वाला परिचय पत्र (आईडेन्टी कार्ड) दिया गया है। जिसमें उनकी सारी जानकारी चीप के माध्यम से अपडेट है। जैसे ही बंदी सुविधा केन्द्र के बाक्स में कार्ड की एन्ट्री करेंगे, बंदी की सारी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। बंदी कहां बात कर रहा है, किससे बात कर रहा उसका नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि जानकारी दिखाई देगी। उन्होंने बताया कि बंदियों को अपने परिजनों से बात करने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाएगा।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता — इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री श्यामल श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां — मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु — प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें — संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480